सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00142

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 23 / 2019

श्री हरीराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री जयगोपाल पुत्र श्री राजकुमार आहूजा, **(नमूना विक्रेता)**
   फर्म–मै0 राज ट्रेडिंग कम्पनी 107, पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर।
   निवासी :– 3–1–10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।
2. राजकुमार पुत्र श्री लाधूराम आहूजा **(प्रोपराईटर)**
   फर्म–मैसर्स राज ट्रेडिंग कम्पनी 107, पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर।
   निवासी :– 3–1–10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर।
3. अमित जैन सांझेदार **(निर्माता)**
   मैसर्स– स्वास्तिक एग्रो फूड प्रोसेसर।
   पता–N.H.,Gill Patti, Sivian Road,Ind. Area.Bhatinda(Pb)-151001
4. सौरव अरोड़ा साझेदार **(निर्माता)**
   मैसर्स– स्वास्तिक एग्रो फूड प्रोसेसर,
   पता–N.H.,Gill Patti, Sivian Road,Ind. Area.Bhatinda(Pb)-151001

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 धारा 26(2)(2) / 51

निर्णय **दिनांक : 03.01.2020**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17.05.2017 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 17.05.2017 से वर्तमान कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त जिला श्रीगंगानगर कार्यक्षेत्र अग्रिम आदेशों तक आवंटित किया है।

श्री हरिराम वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2018 को दोपहर बाद 3.00 बजे श्री राकेश सचदेवा लेब तकनीशियन, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर के साथ मैसर्स **मै0** राज ट्रेडिंग कम्पनी 107, पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर पहुचे। वहां पर श्री जयगोपाल पुत्र श्री राजकुमार आहूजा, 3–1–10 जवाहरनगर, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। उपस्थित को निरीक्षण दल ने अपना परिचय देकर उक्त ट्रेडिंग कम्पनी का निरीक्षण किया तो मौके पर अलमारी में खाद्य पदार्थ **Ghee(Cefham)** के 15 गत्ता **Ghee(Cefham)** पैंकिंग में 450 आम जनता को विक्रय हेतु

रखा पाया गया। मिलावट/नकली का शक होने पर इनमें से 4 गत्ता पैकिंग , प्रत्येक में 450 ग्राम **Ghee(Cefham)** नमूना जांच संख्या **के–935** के नमूनीकरण के लिए खरीदा। जिसकी कीमत 600/– रूपये (अखरे रूपये छः सौ रूपये मात्र) का नगद भुगतान देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान **श्री राकेश सचदेवा एवंम रिंकू** के हस्ताक्षर है एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हरिराम वर्मा ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नम्बर–5 की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच लिया जा रहा है। फार्म नम्बर 05 पर **Ghee(Cefham)** विक्रेता **श्री जयगोपल** एवं गवाहान ने पढकर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Ghee(Cefham)** के 4 गत्ता पैकिंग पर अलग–अलग लेबल चिपका कर चार नमूना भाग बनाए एवं उन पर खाद्य नमूनाा कोड **के–935** एवं अन्य विवरण दर्ज किया और लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर और कागज के सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड एवं अनुक्रमांक **के–935** को नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह मोहर चपड़ी किया और उन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये व विवरण लिखकर आवेदन खाद्य सुरक्षा श्री हरिराम वर्मा स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को श्री हरिराम वर्मा ने अपने कब्जे में लिया। इस समस्त की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता एवं गवाहन को पढ़ाकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस पर विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष 2 सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

फूड एनालिस्ट राजस्थान जयपुर द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः– एलएस/1943/ एक्ट/2018/1434 दिनांक 14.11.2018 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–935 Ghee(Cefham) अमानक स्तर Substandard** पाया गया है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **जयगोपाल पुत्र श्री राजकुमार आहूजा मै0 राज ट्रेडिंग कम्पनी 107, पुरानी धानमण्डी श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **Ghee(Cefham)** का विक्रय किये जाने को खाद्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00142

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **2006 धारा 26(2)(2)/51** के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 21.10.2019 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त श्री **राजकुमार पुत्र श्री लाधूराम आहूजा , (प्रोपराइटर)** ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मैसर्स राज ट्रेडिंग कम्पनी, दुकाननम्बर 107, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर का मालिक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Ghee(Cefham)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **Substandard** पाया गया है। प्रार्थी ने **Ghee(Cefham)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावैं। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Ghee(Cefham)** का सैम्पल **के–935** जांच रिपोर्ट क्रमांकः– एलएस/1943/ एक्ट/2018 /1434 दिनांक 14.11.2018 द्वारा **Substandard** होना पाया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवंम मानक अधिनियम 2006 की धारा 2006 धारा 26(2)(2)/51 का उल्लंघन है तथा जुर्मान योग्य अपराध है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में वर्णित है। साथ ही उपलब्ध कागजात के आधार पर नमूना विक्रेता एफएसएसए 2006 की धारा 31(1) की श्रैणी में आते है। अतः उक्त विक्रेता पर जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।

अभियुक्त श्री **राजकुमार पुत्र श्री लाधूराम आहूजा , (प्रोपराइटर)** ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मैसर्स राज ट्रेडिंग कम्पनी, दुकाननम्बर 107, पुरानी धानमण्डी, श्रीगंगानगर का मालिक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Ghee(Cefham)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार **Substandard** पाया गया है। प्रार्थी ने **Ghee(Cefham)** में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावैं। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुए प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

हमने पत्रावली एवं Food Analyst की दिनांक 14.11.2018 की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की घारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लधन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात **Ghee(Cefham)** विक्रेता एफएसएसए–2006 की धारा 31(1) की श्रैणी में आता है। अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अभियुक्त **श्री जयगोपाल पुत्र श्री राजकुमार आहूजा (नमूना विक्रेता)**

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2019/00142

पर **Food Safety and Standards Food Under Sectiion 3(1)(ZX) of FSS Act 2006.** के तहत **Ghee(Cefham)** का विक्रय करने पर धारा 26(2)(2)/51 के तहत 10000/-रूपये (अखरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ति अधिरोपित की जाती है जो उसके द्वारा चालान नम्बर 36577635 दिनांक 03.01.2020 द्वारा जमा करवा दी गई है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **Ghee(Cefham)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत चेतावनी देते हुए विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(डा. गुंजन सोनी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

17/10/22 खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी उपस्थित। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण संख्या 23/2019 निर्णय दिनांक 03.01.20 में पारित निर्णय में अभियुक्त संख्या 1 जयगोपाल पुत्र राजकुमार आहूजा, नमूना विक्रेता पर ही जुर्माना 10,000/– लगाया गया है, जबकि अन्य तीन मुख्य अभियुक्तों का निर्णय में वर्णन नहीं किया के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए तीनों अभियुक्तों पर नियमानुसार शास्ति फरमाने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर सुना गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 04 ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि Ghee (Cefham) के प्रोपराईटर एवं निर्माता हम अप्रार्थीगण है। आप द्वारा अपने प्रकरण संख्या 23/2019 निर्णय दिनांक 03.01.2020 में जो जुर्माना लगया गया है हम जुर्माना भरने के लिए सहमत है। अतः प्रकरण इस स्टेज पर दाखिल दफतर किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2020 स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 03.01.2020 में पारित निर्णय में आरोपित शास्ति जो अधिरोपित की गई थी उसे अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 को बराबर–बराबर लगाये जाने हेतु आदेशित किया गया। आदेश की प्रति सम्बन्धित विभाग को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर